<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 20.11.2023</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

<u>पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना खमरिया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया</u>

आज दिनांक 20.11.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना खमरिया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सम्पूर्ण थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात, मेस, बैरक, कम्प्यूटर कक्ष आदि का निरीक्षण कर रजिस्टर्स/अभिलेखों के व्यवस्थित रख-रखाव तथा उन्हें अद्यावधिक रखने हेतु निर्देशित किया गया। मालखाने में माल मुकदमाती के व्यवस्थित रख-रखाव तथा नियमानुसार माल का विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए। जनसुनवाई से सम्बन्धित शिकायती प्रार्थना पत्र के निस्तारण की समीक्षा की गई व महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा करते हुए महिला पुलिस कर्मियों को फरियादियों से अच्छे व्यवहार करने व उनकी समस्याओं को सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश दिए गए । साथ ही किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के दृष्टिगत नियमित रूप से प्रभावी गस्त करने के निर्देश दिए गए।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, 04 नफर वांरटी अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 20.11.2023 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा 04 नफर वारंटी अभियुक्तगण 1. राजेन्द्र पुत्र रामनरेश नि0ग्राम चहलारपुरवा थाना ईसानगर जनपद खीरी सम्बन्धित केस नं0 434/22धारा 128 सीआरपीसी 2. कुलेराज पुत्र भागीरथ नि0 मुरौव्वा थाना ईसानगर खीरी सम्बनधित केश न0 238/96 धारा 379 भादावि व 4/10 यूपीजी एक्ट 3. शौकत पुत्र रहमतुल्ला नि0 त्रिकोलिया थाना ईसानगर जनपद खीरी सम्बन्धित वाद सं0 68/98 धारा 25ए एक्ट व सम्बन्धित वाद सं0 50/96 धारा 5/25 ए एक्ट 4.असगर अली उर्फ चैतू पुत्र रहमतुल्ला नि0 त्रिकोलिया थाना ईसानगर जिला खीरी सम्बन्धित केस नं0 118/17 अ0सं0 221/2000 धारा 5/25 आर्मस एक्ट को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1. राजेन्द्र पुत्र रामनरेश नि0ग्राम चहलारपुरवा थाना ईसानगर जनपद खीरी
2. कुलेराज पुत्र भागीरथ नि0 मुरौव्वा थाना ईसानगर खीरी
3. शौकत पुत्र रहमतुल्ला नि0 त्रिकोलिया थाना ईसानगर जनपद खीरी
4. असगर अली उर्फ चैतू पुत्र रहमतुल्ला नि0 त्रिकोलिया थाना ईसानगर जिला खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. उ0नि0 शेषनाथ दूबे थाना ईसानगर
2. हे0का0 हरिहर प्रसाद थाना ईसानगर
3. का0 राहुल कुमार थाना ईसानगर

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, युवतियों पर फब्तियाँ कसने वाले 02 मनचलो को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व मिशन शक्ति/एंटीरोमियो अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 20.11.2023 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा युवतियों पर फब्तियाँ कसने वाले 02 नफर अभियुक्तगण 1.आफताब अंसारी पुत्र जौव्वार अंसारी 2.जावेद पुत्र छोटे खाँ उम्र नि0गण ग्राम खम्हौल थाना गोला जिला खीरी को ग्राम भल्ला बुजुर्ग तिराहे से गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 481/ 2023 धारा 294 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण</u>

1.आफताब अंसारी पुत्र जौव्वार अंसारी नि0 ग्राम खम्हौल थाना गोला जिला खीरी
2.जावेद पुत्र छोटे खाँ नि0 ग्राम खम्हौल थाना गोला जिला खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1.उ0नि0 जितेन्द्रपाल सिंह थाना हैदराबाद खीरी।
2.का0 अरविन्द कुमार थाना हैदराबाद खीरी।
3.का0 प्रेमशंकर थाना हैदराबाद खीरी।

<u>थाना पलिया पुलिस एवं अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 विशेष पॉक्सो न्यायालय द्वारा “08 वर्ष की बालिका से दुष्कर्म” के अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 10000/- रु0 के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई</u>

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत थाना पलिया पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 20.11.2023 को मा0 विशेष पॉक्सो न्यायालय द्वारा “08 वर्ष की बालिका से दुष्कर्म” के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

थाना पलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 350/19 धारा 376 भादवि व 5M/6 पॉक्सो एक्ट से संबन्धित अभियुक्त राधाकृष्ण पुत्र भजनलाल नि0 मेला मैदान कस्बा व थाना पलिया जनपद खीरी को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 10000/- रु0 के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गयी। जिसमें लोक अभियोजक श्री बृजेश कुमार पांडेय, निरीक्षक असलम अली प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, विवेचक नि० श्री विद्या शंकर शुक्ल , कोर्ट पैरोकार उ०नि० श्री राजेश्वर का विशेष योगदान रहा।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त अंकित सिंह पुत्र बॉलिस्टर को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित सिंह पुत्र बॉलिस्टर नि0 मूड़ा निजाम थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना मोहम्मदी पर मु0अ0सं0 774/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, विभिन्न स्थानों से जुआं खेलते हुए कुल 08 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें व कुल 2,770 रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, विभिन्न स्थानों से जुआं खेलते हुए कुल 08 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें व कुल 2,770 रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना मोहम्मदी पर मु0अ0सं0 772/23 व 773/23 धारा 13 जुआं अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

वांछित/वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

1-थाना पलिया पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 388/23 धारा 379/411 भादवि में वांछित अभियुक्त चिराग शर्मा पुत्र मनोज शर्मा नि0 हनुमान मंदिर थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 239 लीटर अवैध शराब बरामद कर 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>239 लीटर अवैध कच्ची शराब व 03 शराब भट्टी</u>** बरामद कर **<u>15 अभियुक्तों</u>** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>15 अभियोग</u>** पंजीकृत किए गए।